न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 125/2024

हेतराम पुत्र लेखू जाति मेघवाल साकिन 1 टीकेडब्लयू–बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– प्रार्थी

–:बनामः–

1. सरबती पुत्री लेखू पत्नी चेतराम जाति मेघवाल साकिन 1 टीकेडब्लयू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया ––प्रार्थी
2. श्री अशोक चालिया ––अप्रार्थी संख्या 1
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा ––अप्रार्थी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 26/11/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री हीरालाल बिरथलिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से एकल खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 1 टीकेडब्लयू–बी के खाता सं. 147 के प.नं. 6/229 के किला नं. 1/1, 1/2, 1/3, 2 ता 4, 21 ता 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4 की कुल तादादी 2. 189 हैक्ट. नहरी म.गै.मु. खाला रास्ता कृषि भूमि मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से एकल खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 1 टीकेडब्लयू–बी के खाता सं. 121 के प.नं. 6/229 के किला नं. 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 14, 15/1, 15/2, प.नं. 7/229 के किला नं. 21 ता 25 कुल तादादी 2.277 हैक्ट. नहरी म.गै.मु. रास्ता कृषि भूमि मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 आपस मे सगे भाई बहन है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 को अपने पिता श्री लेखू के देहान्त के पश्चात विरासतन प्राप्त शुदा रकबा है, इस कारण से प्रार्थना पत्र की मद सं. 1–2 मे वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 की पैतृक कृषि भूमि है।

यह कि चक 1 टीकेडब्ल्यू–बी के प.नं. 6/229 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 0.025–0.025 हैक्ट. गै.मु. स्वीकृत शुदा रास्ता दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रार्थी ने अपनी प्रार्थना पत्र की 1 मद सं. 1 मे वर्णित कृषि भूमि के कि[illegible] मे रिहायसी ढ़ाणी बनी हुई है और अप्रार्थी सं. 1 ने घरू बंटवारा के समय प्रार्थी [illegible] क[illegible] भूमि व रिहायसी ढ़ाणी के आवगमन हेतू हेतू अपनी कृषि भूमि के प.नं. 6/229 के [illegible] नं. 5 मे उत्तरी दिशा मे 1 बिस्वा रास्ता इस आश्वासन व शर्त के दी गई कि वह [illegible] है और प्रार्थी से बडी [illegible] कारण तथा काश्त की सुविधा को देखते हुए मुझ प्रार्थना [illegible] की मद सं. 2 मे वर्णि[illegible] भूमि घरू बंटवारा मे दो और मेरे नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज करवा दो तथा भविष्य मे रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे स्वीकृत करवाना चाहे तो वह अपनी सहमति देने के लिए बाध्य रहेगी और रास्ता के एवज मे किसी प्रकार का कोई प्रतिफल या भूमि की मांग नही करेगी, इस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.26 16:43:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थी ने अपनी बडी बहन यानि अप्रार्थी सं. 1 पर विश्वास करते हुए प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 मे वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से इन्द्राज करवा दी और घरू बंटवारा के समय अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 मे जाने हेतू किला नं. 5 मे उत्तरी दिशा मे 1 बिस्वा रास्ता हेतू छोड दी जो कि उक्त रास्ता पिछले 25 वर्षो से बिना किसी विवाद के चला आ रहा है और वर्तमान मे भी उक्त रास्ता चालू है। प्रार्थी की कृषि भूमि को उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई सरल एवं नजदीक एवं वैकल्पिक रास्ता नही लगता है इसलिए प्रार्थी की कृषि भूमि को अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि के प.नं. 6/229 के किला नं. 5/.0125 हैक्ट. रास्ता बैजानिब उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जावे।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 पिछले 15–20 दिनों से धमकी दे रही है कि वह उक्त घरेलू रास्ता जो प्रार्थी की कृषि भूमि के आवगमन हेतू चल रहा है को बन्द कर देगी। इस पर प्रार्थी ने श्रीमान नायब तहसीलदार गोलूवाला को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 को पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थी की कृषि भूमि के आवगमन हेतू अप्रार्थीसं. 1 की भूमि मे चल रहे रास्ता को किसी प्रकार से बन्द नही करे, तो इस पर अप्रार्थी सं. 1 ने नायब तहसीलदार महोदय गोलूवाला का विरोध करते हुए कहा कि सक्ष्म न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नही है, इस कारण से वह उक्त घरेलू रास्ता को बन्द कर देगी। यदि अप्रार्थी सं. 1 उक्त चल रहे रास्ता को बन्द कर देती है या बन्द करने मे कामयाब हो जाती है तो प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमय क्षति होगी और प्रार्थी अपनी कृषि भूमि के आवगमन से वंचित हो जायेगी तथा न पूरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए उक्त रास्ता को जल्द से जल्द स्वीकृत किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि चक 1 टीकेडब्लयू–बी के प.नं. 6/229 के किला नं. 5 मे 0.0125हैक्ट. बैजानिव उत्तरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री अशोक कुमार चालिया अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जवाब प्रार्थना पत्र यह है कि अप्रार्थीया सं. 01 सरबती पुत्री लेखुराम की उम्र 87 है जो काफी वृद्व औरत है जो न्यायालय मे हाजिर अदालत आने मे असमर्थ है इसलिए अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उक्त अनवान के प्रकरण मे अपनी तरफ से पैरवी करने हेतू अपने पुत्र ठाकरराम पुत्र चेतराम जाति मेघवाल निवासी 1 टीकेडब्लयू–बी तहसील पीलीबंगा को मुखत्यारेआम घोषित कर रखा है। इसलिए उक्त अनवान के प्रकरण मे जबाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थीया सं. 1 की ओर से जरिये मुखत्यारेआम ठाकरराम द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 रिकॉर्ड है जिसे साबित करने का भार प्रार्थी पर है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 रिकॉर्ड से संबंधित होने से स्वीकार है।

प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 अंकित तथ्य चक 1 टीकेडब्लयू–बी के प.नं. 6/229 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 मे 0.025–0.025 हैक्ट. गैर मुमकिन स्वीकृतशुदा रास्ता होना स्वीकार है । शेष तथ्य मनगढ़त होने से एं प्रार्थना पत्र को रंगत देने के आशय से अंकित होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया सं. 1 की कृषि भूमि चक 1 टीकेडब्लयू–बी के किला नं. 5 मे उत्तर दिशा मे कोई रास्ता चालू नही है। वर्तमान मे अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि मौका पर ग्वार की फसल खड़ी है। प्रार्थी द्वारा बिना प्रतिफल के रास्ता चाहा गया है जो कानूनन पोषणीय नही होने से प्रार्थना पत्र काबिले–ए–खारिज है।

प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 अस्वीकार है। अप्रार्थीया सं. 1 वृद्व औरत है जो अपने पुत्र मोहनलाल के पास वाके मेहरवाला तहसील टिब्बी में निवास करती है जो पिछले वर्षो से गांव मेहरवाला में ही निवासरत है जो कभी भी चक 1 टीकेडब्लयू–बी में नही। अप्रार्थीया सं. 1 की उक्त कृषि भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 का पुत्र मोहनलाल मोहनलाल दोनो संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है इसलिए प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 मिथ्या झूठी अंकन करवाया गया है एवं आधारहीन होने से अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र केवल मत्र अपूर्णीय एवं अपरिमय क्षति का अंकन करवाया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.26 16:43:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अतिरिक्त कथन

प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र श्रीमान उप तहसीलदार महोदय उप तहसील गोलूवाला को इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि चक 1 टीकेडब्लयू–बी के प.नं. 6/221 क किला नं. 4 मे बनी ढ़ाणी मे आवगमन हेतू उक्त प.नं. 6/221 के किला नं. 5 मे स्वीकृत रास्ता मे उत्तर दिशा मे सुखाचार अधिनियम के तहत चालू करवाया जावें, जिस पर उपतहसीलदार गोलूवाला द्वारा हल्का पटवारी से जांच रिपोर्ट करने बाबत लिखा गया जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.07.2024 को हल्का पटवारी सुमन व गिरदावर देवीलाल के साथ सांठ–गांठ कर अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि मे खड़ी ग्वार की फसल को टैक्टर चलाकर नष्ट कर रास्ता निकलवा लिया गया और हल्का पटवारी सुमन व गिरदावर देवीलाल द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच करने की आड मे किला 05 मे टैक्टर से हल चलवाकर रास्ता निकलवा दिया है और चालू रास्ता की मिथ्या रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत कर दी गई। जिस पर अप्रार्थी सं. 01 द्वारा श्रीमान जी के समक्ष स्वयं उपस्थित आकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं एक प्रार्थना पत्र श्रीमान जिला कलक्टर हनुमानगढ़ को प्रेषित किया गया जिसकी जांच लम्बित है। अप्रार्थी सं. 01 के पुत्र ठाकरराम द्वारा न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्टेट पीलीबंगा मे प्रार्थी व अन्य के विरूद्व बीएनएस की धाराओं मे एक इस्तगासा प्रस्तुत कर रखा है।

प्रार्थी हेतराम की किला नं. 4 मे स्थित ढ़ाणी के पश्चिम दिशा मे चिपते ही किला नं. 7 प्रार्थी हेतराम के भाई हुक्माराम की ढ़ाणी बनी हुई है। हेतूराम व हुक्माराम की ढ़ाणी की सांझी दिवार बनी हुई है। हुक्माराम की ढ़ाणी किला नं. 7 मे आवगमन के लिए अप्रार्थी सं. 1के द्वारा घरेलू रास्ता किला नं. 6 के दक्षिण दिशा मे पूर्व पश्चिम दे रखा है जो हुक्माराम के किला नं. 7 मे स्थित ढ़ाणी तक दे रखा है। प्रार्थी अपने भाई हुक्माराम की ढ़ाणी मे स्थित रास्ता से आना जाना कर सकता है। इस प्रकार यदि अप्रार्थी द्वारा किला नं. 5 मे चाहा गया रास्ता श्रीमान जी के द्वाना बिना प्रतिफल के मंजूर किया जाता है तो अप्रार्थीया को न पूरा होनो वाला नुकसान होगा एवं अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी कृषि भूमि अलग–अलग टुकड़ों मे विभाजित हो जायेगी।

प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के किला नं. 25 मे मंजूरशुदा रास्ता है जहां से भी प्रार्थी अपनी ढ़ाणी मे आवगमन कर सकता है एवं अन्य वैकल्पिक रास्ता की सुविधा अप्रार्थी सं. 1 की किला नं. 6 मे बने घरेलू रास्ता जो प्रार्थी के भाई हुक्माराम की ढ़ाणी जो इसी पत्थर के किला नं. 7 मे बनी है, से आवगमन कर सकता है।

उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा मनगढ़त तथ्यों एवं मिथ्या कथनों के आधार पर बिना प्रतिफल दिये ही अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी कृषि भूमि मे रास्ता मंजूर करवाना चाहता है जो अस्वीकार होने एवं कानून घोषणीय नही होन से काबिल–ए–खारिज है।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार रिपोर्ट पत्रांक 744 दिनांक 25.10.24 से रिपोर्ट प्राप्त हुई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौका पर चालू है। प्रार्थी द्वारा सम्बन्धित काश्तकारों को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ता के अलावा पूर्व में कोई स्वीकृतशुद्धा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा कम दूरी का अन्य रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.26 16:43:23 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभय पक्षसुनी गई। उभय पक्ष द्वारा प्रकरण [illegible] प्रस्तुत किया गया है बहस पर मनन कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] पत्र एवं हमारे द्वारा स्वयम् द्वारा मौका निरिक्षण बाद तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट [illegible] आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्व काश्ताकरी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

—:आदेश:—

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों व तहसीलदार पीलीबंगा का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट व प्रस्तुत नक्शा एव मौका निरिक्षण के अनुसार मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौका पर चालू है। प्रार्थी द्वारा सम्बन्धित काश्तकारों को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ता के अलावा पूर्व में कोई स्वीकृतशुद्धा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा कम दूरी का अन्य रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः रास्ता प्रकरण आत्यांतिक रास्ता की श्रेणी में होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251—क स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए के प्रावधानों के अनुरूप साबित होने पर स्वीकार किया जाता है कि चक 1 टीकेडब्ल्यू—बी के प.नं. 6/229 के किला नं. 5 में 0.0125 हैक्ट. बैजानिब उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी रास्ता के प्रतिफल के रूप में डीएलसी की दुगना राशि खजाना राज में जमा करवाया जाकर आदेशों की पालना में तहसीलदार उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 26/11/24 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.26 16:43:23 IST
Reason: SelfAttested